बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य निगम के सफल संचालन हेतु जिला प्रबंधक के रिक्त पद को भरने हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/निगम से सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापित कर विभिन्न शर्तो पर आवेदन पत्र की मांग की गयी थी।

प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अर्हता पूरा करने वाले मिम्नलिखित सेवा निवृत पदाधिकारियों का दिनांक–09.12.2017 एवं 11.12.2017 को हुए Walk-in-Interview के पश्चात जिला प्रबंधक के पद पर संविदा पर चयन किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा पर योगदान की तिथि से 11 माह के लिए होगी। इनका कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर इनकी अवधि विस्तार एवं पुनः संविदा पर विचार किया जा सकता है।

क्र0	जिला प्रबंधक (संविदा) का नाम	मूल विभाग	गृह जिला
1	श्री ददन प्रसाद	अल्प संख्यक कल्याण विभाग	सिवान
2	श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	नालंदा

शर्ते–

1. सभी चयनित अभ्यार्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक– 12.01.2018 तक बिहार राज्य खाद्य निगम,खाद्य भवन,निगम मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. अभ्यार्थियों द्वारा दिये गये कोई भी कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यार्थियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
3. उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही मानदेय के रूप में देय होगा।
4. इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
5. संविदा पर कार्यरत ऐसे किसी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक/अपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर उनकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. इनके द्वारा "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
8. संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि"बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/–

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः–3:02:200:01:17 दिनांक–

प्रतिलिपि–मुख्य महाप्रबंधक,जन वितरण/अधिप्राप्ति/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय,पटना एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः–3:02:200:01:17 192 दिनांक– 8/1/18

प्रतिलिपि–श्री ददन प्रसाद, ग्रा0–अर्कपुर, पो0–शिवपुर शकरा, थाना–दरौली, जिला–सिवान, वर्तमान–शैलेशपुरी चौहरमल नगर, अनीशाबाद,पटना–2 एवं श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0हरेन्द्र प्रसाद,ग्राम–देव विगहा,पोस्ट–दोसुत,भाया–हरनौत,जिला–नालन्दा,वर्तमान–फ्लैट नं03SFB1/44, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी,भुतनाथ रोड, पटना–800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रभारी नियंत्रण कक्ष को निदेश है कि निगम के बेवसाईट पर लोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियेां तक सूचना प्राप्त हो सके।

उप महाप्रबंधक,प्रशासन